



भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

दूसरी मंजील, जीएसआई फ़िल्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फ़ोन- 0771-2282530/2285590/95 मेल- ro.raipur@ibm.gov.in

No- CHG/JNG-C/LST-2/NGP/324.

दिनांक -27/10/2021

प्रेषिति- एजेन्ट ए अरस्मेता चूनापत्थर खदान,
सर्वश्री नुवोको विस्तास कार्पोरेशन लिमिटेड
पोस्ट- गोपालनगर एतहसील-अकलताराए
जिला-जांजगीर-चंपा(छ.ग.)

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के जंजगीर-चंपा जिले मे स्थित आपकी अरसमेता चूना खान (Area 499.987 Ha.) . मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध मे-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 12.10.2021 by undersigned accompanied by Shri Ritesh Kaimal, Mine Manager

Rule	Nature of Violation observed
11(1)	Mining operations should have been undertaken in accordance with the approved Modified Mining Plan. The Modified Mining Plan was approved vide letter no. बिलास/ चूप /खयो-80/NGP/2015/22-RPR Raipur dated 19/08/2016 and following deviation were observed during inspection 1. The quantity of ROM mineral production proposed 2025664 tons in 2020-21 but actual achievement is only 1326334.41 tons. 2. During the mine visit it was observed that top soil dumping is not done and as per proposal and top soil is mixed with waste/OB dump/backfilled. The top soil should be dump separately. 3. It was observed that faces are not developed as per the proposal and some places overhang and big boulders are hanging and stack near faces.
31(4)	The plans and sections required under these rules shall be maintained up to date within three months in case of category 'A' mines but the is not maintained.

- 2 इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नही होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत
(क) खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करे एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय


जारी किया गया/ISSUED

(राजेश कुमार दास)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि & for information please

- 1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ

o/c


29/10/2021

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर